आनन्दपुर साहिब हाईडल परियोजना, मुकेरियन हाईडल परियोजना, थीन बांध परियोजना, यूबीडीसी स्टेज-द्वितीय एवं शाहपुर कांडी हाईडल परियोजना से हरियाणा एवं राजस्थान राज्य द्वारा विद्युत उत्पादन में हिस्सा मांगने के संदर्भ में यह स्वीकार किया गया कि भारत सरकार इस प्रकरण को उच्चतम न्यायालय में राय हेतु प्रस्तुत करेगी एवं उच्चतम न्यायालय से प्राप्त राय सभी राज्य, जिनके मध्य अनुबंध हुआ है, को प्रेषित की जायेगी जो कि उन्हें मान्य होगी।

भारत सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उसकी राय जानने हेतु दावा अभी तक नहीं भेजा गया है और न ही राजस्थान को केन्द्रीय विद्युत उपक्रमों के अनावंटित कोटे में से समझौते के अनुसार अतिरिक्त विद्युत आवंटित की गई है।

भारत सरकार से निवेदन है कि विद्युत उत्पादन में राजस्थान व हरियाणा द्वारा मांगे गये हिस्से के संबंध में प्रकरण को दिनांक 10-05-1984 के समझौते के अनुसार उच्चतम न्यायालय को रेफर किया जाये व न्यायालय से प्राप्त राय को सभी पक्षकार राज्यों को भेजा जाये।

भारत सरकार से निवेदन है कि शाहपुर कांडी बैराज का निष्पादन एवं कंट्रोल बीबीएमबी या भारत सरकार की किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाये।

उच्चतम न्यायालय से प्राप्त राय के लंबित होने की स्थिति में, भारत सरकार द्वारा राजस्थान और हरियाणा को केन्द्रीय संयंत्रों के अनावंटित हिस्से से भी आवंटित किये गये हिस्सों से अतिरिक्त विद्युत आवंटित की जाये।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Santanu Sen; not present. Shri Rajmani Patel.

Demand to include caste details of OBCs in Census 2021

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, भारत में ओ.बी.सी. की आबादी 52 प्रतिशत है। यह अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग प्रतिशत है। भारत में अंतिम जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। 1996-97 में भी जातिगत जनगणना का निर्णय लिया गया था, लेकिन अमल नहीं हो पाया। 2010 में भी सभी पार्टी के सांसदों की मांग पर आश्वासन मिला था, जिसके तहत आंकड़े भी जुटाए गए, लेकिन जातिगत आंकड़े ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जुटाए गए थे, जिसे उच्च स्तरीय समिति ने औचित्यहीन मानकर अमान्य कर दिया, उसे प्रकाशित ही नहीं किया गया।

सही आंकड़ों के अभाव में ओ.बी.सी. समुदाय के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में संविधान की भावना और प्रावधानों के तहत शिक्षा नौकरी तथा अन्य क्षेत्रों में आरक्षण तथा अन्य लाभ नहीं मिल पाता तथा राजनैतिक क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जातिगत जनगणना से सरकार को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक क्षेत्र में ओ.बी.सी. की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मदद मिलेगी तथा सभी वर्गों को निष्पक्षता, न्यायप्रियता और देश के सामन्जस्यपूर्ण विकास का अवसर प्राप्त होगा।

6.00 P.M.

[श्री राजमणि पटेल]

मैं भारत सरकार, विशेषकर प्रधान मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना एडिशनल कॉलम आफ कास्ट को, सेन्सस फार्मेट में जोड़ा जाए तथा जनगणना का कार्य रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाए।

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I would like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री उपसभापति: राजमणि पटेल जी, धन्यवाद। मैं माननीय राम नाथ ठाकुर जी को आमंत्रित करूँ, इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 6 बज चुके हैं। मैं मानता हूँ कि इस पर हाउस की सहमति है कि हम स्पेशल मेंशंस होने तक बैठें।

कुछ माननीय सदस्य: जी हाँ।

Demand for modifications in the Ayushman Bharat Scheme

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): उपसभापति महोदय, 'आयुष्मान भारत योजना' भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य दुर्बल आय वर्ग के लोगों को गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए पाँच लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लागू होने के बाद गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को यह उम्मीद हुई कि अब उन्हें गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए अपना घर-बार नहीं बेचना पड़ेगा और सरकार उनके इलाज का बोझ वहन करेगी। इस योजना का फायदा भी हुआ है। सरकारी आँकड़े यह बताते हैं कि करोड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है तथा गम्भीर बीमारियों का इलाज कराया है। लेकिन इसमें एक कमी है, जो गम्भीर है और सरकार को उसे दूर करना चाहिए। यदि किसी बीमारी में इलाज के खर्च की सीमा पाँच लाख तक है, तब तो रोगी इस योजना के तहत इलाज करा सकता है, लेकिन यदि डॉक्टर या अस्पताल ने पाँच लाख रुपए से अधिक का प्राक्कलन बना दिया, तो रोगी इस योजना के तहत इलाज नहीं करा सकता है। उसे सरकार की दूसरी योजना, 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' के तहत भी लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है। हम सभी जानते हैं कि कैंसर जैसी कई अन्य बीमारियों में इलाज का खर्च काफी ज्यादा होता है। अत: इसका इलाज 'आयुष्मान भारत योजना' में तकनीकी कारणों से नहीं हो सकता है।

मैं लोक हित में सरकार से यह माँग करता हूँ कि कृपया इस विसंगति को दूर किया जाए तथा यदि इलाज का खर्च पाँच लाख से अधिक आता है, तो 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' से शेष राशि उपलब्ध कराई जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri P.L. Punia; not present. Shri Husain Dalwai.